	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पीठासीन अधिकारी महो.राजकीय दौरे / कानून व्यवस्था / प्रोटोकोल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 2.3.2018 के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.4.18 नियत की जाती है।	
11/4/18	पत्रावली पेश हुई। नवीन गाथी [illegible] अधिवक्ता व तहसीलदार [illegible] प्रस्तुत [illegible] पत्रावली आगामी दिनांक 2-5-18 को पेश हो।	
2.5.18		
25/5/18	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के अन्तर्गत आयोजित लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ईसरदा पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की तरफ से जबाव प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता श्री रूपा पुत्र हुक्मा जाति रैगर को ग्राम ईसरदा में खसरा सं० 2333 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी इस आवंटित भूमि के ख.सं० 2333/18 रकबा 5 बीघा रिकॉर्ड में अंकित किये गये। प्रार्थीगण अनुसार पिता की मृत्यु के बाद यह भूमि उनके नाम दर्ज रिकॉर्ड हो गयी। परन्तु सैटलमेन्ट के दौरान साबिक ख.सं० 2333 के नवीन खसरा सं० 4046 रकबा 1.26 हैक्टर बनाकर उनके नाम खातेदारी लगा दी जबकि वे एलाटमेंट के समय से खसरा सं० (नवीन) 4059 व 4167 पर काबिज काश्त है। जबाव तहसीलदार अनुसार प्रार्थीगण को आवंटित भूमि साबिक खसरा सं० 2333/18 रकबा 5 बीघा से बने नवीन खसरा सं० 4046 रकबा 1.26 हैक्टर वर्तमान रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी में है एवं प्रार्थीगण जिन खसरा	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख

4059 व 4167 पर काबिज है वो क्रमशः चरागाह एवं वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। नवीन खसरा स० 4059 तो साबिक खसरा स० 2333 से बना है जबकि खसरा स० 4167 साबिक खसरा स० 2334 से बना है।

पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर पाया गया कि आवंटित भूमि का तरमीम शुदा साबिक नक्शा या अन्य कोई दस्तावेजात इस प्रकार के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह सिद्ध हो की उन्हें साबिक खसरा स० 2333 में से 5 बीघा भूमि जिस जगह आवंटित की गयी एवं उस आवंटित भूमि पर ही प्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा नवीन खसरा स० 4167 रकबा 0.46 पर कब्जा होना बताया परन्तु खसरा स० 4167 तो साबिक खसरा स० 2334 से बना है इस कारण उनका खसरा स० 4167 पर कब्जा गैरकानूनी है क्यों कि साबिक खसरा स० 2334 से उनको भूमि आवंटित नहीं की गयी थी। इस प्रकार प्रार्थीगण की ग्राम ईसरदा स्थित खातेदारी भूमि खसरा स० 4046 रकबा 1.26 हैक्टेयर से संबंधित हाल राजस्व रिकॉर्ड का गत रिकॉर्ड से मिलान करने पर राजस्व कर्मियों के द्वारा रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि करना नहीं पाया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार हो दर्ज रजि० से कम हो।